

**कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन-834002, Email-pcpf-ednodal@gov.in

पत्रांक- 507

राँची, दिनांक- 31.3.2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा 400 KV, D/C पतरातू-लातेहार T/L निर्माण हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० हेतु (लातेहार वन प्रमंडल-103.681 हे०, रामगढ़ वन प्रमंडल-7.9685 हे०, एवं राँची वन प्रमंडल-51.9373 हे०) वन भूमि अपयोजन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 1488 दिनांक 10.06.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है, कि 400KV D/C पतरातू-लातेहार ट्रान्समिशन लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सं० FP/JH/Trans/32955/2018 हेतु कुल 169.0098 हे०, (संशोधित 163.5868 हे०) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर 10 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

इस परियोजना में तीन वन प्रमंडल क्रमशः लातेहार, रामगढ़, राँची शामिल है। राज्य सरकार द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो के पत्रांक 1669 दिनांक 09.11.2020 द्वारा रामगढ़ वन प्रमंडल हेतु, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 2606 दिनांक 04.12.2020 द्वारा लातेहार वन प्रमंडल हेतु एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 630 दिनांक 09.03.2021 द्वारा राँची वन प्रमंडल हेतु तीनों पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/बोकारो/राँची के प्रतिवेदनानुसार विभाग द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण कंडिकावार निम्नवत् है:-

क्र०	पृच्छाएँ	निराकरण															
1.	प्रस्ताव के पार्ट-I में online कुल रकबा, तथा village wise रकबा का सुधार करते हुए पार्ट-I की Hard copy	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट-I में online कुल रकबा, तथा village wise रकबा को सुधार करते हुए पार्ट-I की Hard copy संलग्न किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित पार्ट-I के कंडिका B-2.1 में प्रमंडलवार अपयोजित होने वाली वनभूमि का विस्तृत विवरणी निम्नवत् प्रतिवेदित की गई है। <table border="1"> <tr> <th>क्र०सं</th><th>वन प्रमंडल का नाम</th><th>अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा हे० में</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>रामगढ़</td><td>7.9685</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>राँची</td><td>51.9373</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>लातेहार</td><td>103.681</td></tr> <tr> <td></td><td>कुल</td><td>163.5868 हे०</td></tr> </table> अनु०-01	क्र०सं	वन प्रमंडल का नाम	अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा हे० में	1.	रामगढ़	7.9685	2.	राँची	51.9373	3.	लातेहार	103.681		कुल	163.5868 हे०
क्र०सं	वन प्रमंडल का नाम	अपयोजित होने वाली वनभूमि का रकबा हे० में															
1.	रामगढ़	7.9685															
2.	राँची	51.9373															
3.	लातेहार	103.681															
	कुल	163.5868 हे०															
2.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को मिलान कर यदि आवश्यक हो, तो सुधार करते हुए प्रतिवेदन	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची ने सूचित किया है कि राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित रकबा Land schedule का रकबा तथा अनुशंसित रकबा को ऑन-लाईन पार्ट-I में सुधार कर संशोधित 51.9373 हे० वनभूमि का Land schedule की प्रति संलग्न है। अनु०-02															

3.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल तथा रामगढ़ वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-दाड़ीडीह का Authenticated land schedule.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के संबंध में खेलारी अंचल का Authenticated land schedule. की प्रति संलग्न है। अनु0-03
4.	रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा-कोतों के पूर्ण रकबा तथा मौजा-रोचाप एवं दाड़ीडीह में प्रस्तावित जंगल-झाड़ भूमि का उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र	रामगढ़ जिलान्तर्गत मौजा-कोतों, रोचाप एवं दाड़ीडीह में प्रस्तावित जंगल-झाड़ भूमि का अनापति प्रमाण-पत्र उपायुक्त, रामगढ़ के झापांक 1384 दिनांक 29.09.2020 द्वारा निर्गत है। अनु0-04
5.	विभागीय आदेश सं0 4715 दिनांक 27.11.2018 तथा उपायुक्त, लातेहार द्वारा दिनांक 25.05.2019 तथा दिनांक 16.10.2019 को निर्गत प्रमाण पत्रों के आलोक में लातेहार जिलान्तर्गत अवस्थित जंगल-झाड़ भूमि प्रस्ताव का पार्ट होगा अथवा नहीं। यदि यह प्रस्ताव का पार्ट होगा तो पूर्ण जंगल-झाड़ भूमि का उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र और यदि यह प्रस्तावित वनभूमि के रकबा में संशोधन अपेक्षित होगा।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची ने अपने पत्रांक 630 दिनांक 09.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पृच्छित बिन्दु संख्या 05 का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है:- 1. लातेहार जिला अंतर्गत ग्राम-निन्द्रा एवं बेलगड़ा में अपयोजित होने वाले कुल जंगल-झाड़ी का रकबा 8.156 हे0 के विरुद्ध मात्र 2.744 हे0 के लिए ही उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 888 दिनांक 16.10.2019 द्वारा अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है। अनु0-05 2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मात्र 2.744 हे0 को जंगल-झाड़ी के रूप में संशोधनापरांत प्रस्तावित किया है। 3. शेष 5.412 हे0 जंगल-झाड़ी को संशोधनोपरांत प्रस्ताव में रैयती भूमि परती कदीम के रूप में सम्मिलित किया गया है। 4. इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि भविष्य में यदि 5.412 हे0 भूमि जंगल-झाड़ी आदि के रूप में पाई जाती है तो उसके लिए एफ0सी0एक्ट के तहत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव अलग से समर्पित किया जाएगा। अनु0-05 A
6.	प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-होयर के प्लॉट सं0 479 चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र।	प्रस्तावित वनभूमि के विरुद्ध राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-होयर के प्लॉट सं0 479 चिन्हित अवकृष्ट वनभूमि हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची द्वारा निर्गत उपयुक्तता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। अनु0-06
7.	मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक (CWLW) का मंतव्य।	CWLW का मंतव्य अप्राप्त है। इस कार्यालय के पत्रांक 231 दिनांक 20.03.2020 द्वारा अनुरोध किया गया है। पुनः अनुरोध किया जा रहा है, प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायगा।

3/3

8.	गणना सूची के अनुरूप पार्ट-II में अंकित वृक्षों की संख्या में सुधार।	गणना सूची के अनुरूप संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों द्वारा पार्ट-II में अंकित संशोधित वृक्षों की कुल संख्या प्रमंडलवार निम्नवत् है:- <table border="1"> <tr> <th>क्र०सं०</th><th>वन प्रमंडल का नाम</th><th>वृक्षों की कुल सं०</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>लातेहार</td><td>4835</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>रामगढ़</td><td>2586</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>राँची</td><td>7933</td></tr> <tr> <td colspan="2">कुल :-</td><td>15354</td></tr> </table>	क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	वृक्षों की कुल सं०	1.	लातेहार	4835	2.	रामगढ़	2586	3.	राँची	7933	कुल :-		15354
क्र०सं०	वन प्रमंडल का नाम	वृक्षों की कुल सं०															
1.	लातेहार	4835															
2.	रामगढ़	2586															
3.	राँची	7933															
कुल :-		15354															
9.	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-लोथमाना, ओझासाड़म एवं हिरिंग से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही।	राँची वन प्रमंडल अंतर्गत मौजा-लोथमाना, ओझासाड़म एवं हिरिंग से संबंधित ग्रामसभा की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। अनु०-07															
10.	प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची से नोडल पदाधिकारी के पत्र तथा पार्ट-II में उल्लिखित वृक्षों की संख्या को मिलान कर वृक्षों की संख्या में सुधार।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/पलामू/बोकारो के प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न गणना सूची एवं पार्ट-II में उल्लिखित वृक्षों की कुल संख्या 15354 है। अनु०-08															

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/बोकारो/राँची से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु संशोधित कुल 163.5868 हे० वनभूमि अपयोजन के लिए स्टेज-I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (HOFF) का अनुमोदन प्राप्त है।
अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
 बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

KQ.
 31.3.21

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

*CONSTRUCTION OF 400 KV, D/C PARTATU - LATEHAR
TRANSMISSION LINE 163.5868_ha.*

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of revised 163.5868 ha of Forest land.

Date :- 31.03.2021

Place :- Ranchi.

Signature

(A.K. Rastogi)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)